78

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन, जैल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/विभा.जांच/2018-1252/ 1145

भोपाल दिनांक 17/07/2023

परिपत्र

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अन्र्तगत प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में होने और ऐसे सेवानिवृत्त धिकारियों/कर्मचारियों से प्रकरण अन्र्तगत यदि कोई राजस्व हानि की वसूली की जाना होती है तो नियम अन्र्तगत उनकी सेवानिवृत्ति उपरान्त उनके देय स्वत्वों का भुगतान कर दिये जाने से उनसे राजस्व हानि वसूली करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त संबंध में मंडी बोर्ड मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/ तकनिकी कार्यालय एवं मंडी समिति के सचिवो को यह निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य मंडी बोर्ड सेवा/ मण्डी समिति सेवा संवर्ग के अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित/लंबित होने की स्थिति में उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त उनके देय स्वत्वों का भुगतान के संबंध में ना-देय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाय। अपचारी के विरुध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम निर्णय/निराकरण के आदेश पारित उपरान्त ही उनके ना-देय प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/विभा.जांच/2018-1252/ 1146

भोपाल दिनांक 17/07/2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक महोदय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/अधीक्षण यंत्री/संयुक्त/उप संचालक/चीफ प्रोग्रामर/सहायक यंत्री/सहायक संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (समस्त) आचंलिक कार्यालयों एवं कार्यपालनयंत्री (समस्त) तकनिकी कार्यालयो की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ उपरोक्त निर्देश का पालन कराना सुनिश्चित करें।
4. भार साधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
5. अनुभाग अधिकारी/पटल प्रभारी (समस्त) कार्यालयीन ....शाखा, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल